संख्या-1381 /एक-10-2024-20(रिट)/2022

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड से बचाव/निपटने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) से व्यय की गयी धनराशि के लम्बित देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1447/आपदा सहायक/2022-23, दिनांक 21 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-2109/आपदा सहायक/2024-25, दिनांक 08 जुलाई, 2024 तथा पत्र संख्या-2122/आपदा सहायक/2024-25, दिनांक 11 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रवासी श्रमिकों में वितरित खाद्यान्न पैकेट के भुगतान हेतु मेसर्स अयोध्या प्रसाद की फर्म द्वारा आपूर्ति खाद्यान्न पैकेट के सापेक्ष मेसर्स अयोध्या प्रसाद की फर्म को भुगतान किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 1,23,14,016.00 आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायलय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-26933/2022 मेसर्स अयोध्या प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये दिनांक 20.01.2023 को पारित निर्णय/आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है:-

Considering the facts and circumstances of the case and without expressing any opinion on merits of the claim of the petitioner, we direct the respondents to pay to the petitioner legally due and admissible amount within a month from the date of submission of a certified copy of this order by the petitioner before them.
With the aforesaid observation, this writ petition is disposed of.

3 - मा0 उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण में अवमानना वाद संख्या-7248/2023 मेसर्स अयोध्या प्रसाद एण्ड संस बनाम श्री महेन्द्र सिंह तंवर जिलाधिकारी, संतकबीर नगर

व अन्य भी योजित है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2024 को पारित आदेश निम्नवत हैः-

The Standing Counsel and Sri Sanjay Kumar Om, Advocate representing the opposite party no. 4 have obtained instructions in the matter and have handed over a copy of the same to the Court which are taken on record.

When the case was taken up today, the Standing Counsel has assured the Court that the payment due to the applicants and referred in the order dated 28.3.2024 previously passed by this Court shall be paid within a maximum period of one month.

List again in the additional cause list on 2nd September, 2024 on which date the Standing Counsel shall file a compliance affidavit of the concerned officer.

4 - मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णयों/आदेश के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रवासी श्रमिकों में वितरित खाद्यान्न पैकेट के भुगतान हेतु मेसर्स अयोध्या प्रसाद एण्ड संस को अवशेष धनराशि रू01,23,14,016.00 (रूपये एक करोड़ तेईस लाख चौदह हजार सोलह मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, संत कबीर नगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। स्वीकृति धनराशि नियमानुसार व्यय करने हेतु आवंटित की जा रही है।
2. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
6. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू01,23,14,016.00 (रूपये एक करोड़ तेईस लाख चौदह हजार सोलह मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 14-08-2024 15:20:07
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-1381 (1)/एक-10-2024 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

5 - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-16/08/2024

प्रेषण संख्या:- 1381
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1381
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12314016 26314016	12314016 26314016
	योग	वर्तमान प्रगामी	12314016 26314016	12314016 26314016

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तेइस लाख चौदह हजार सोलह
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तिरेसठ लाख चौदह हजार सोलह

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।